



पूजा®

100% TO THE
POINT

NCERT व CSAT पैटर्न

सामान्य ज्ञान

GENERAL KNOWLEDGE

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में
पिछले 15 वर्षों में पूछे गये
प्रश्नों पर आधारित

सामान्य ज्ञान के सभी
विषयों के **तथ्यों** का
सरल व **रोचक** तरीके से
Oneliner व **Tables**
द्वारा प्रस्तुतीकरण

2021

पूर्णतः संशोधित संस्करण



100% to the
POINT

सामान्य ज्ञान

NCERT व CSAT पैटर्न पर आधारित

GENERAL KNOWLEDGE

सामान्य ज्ञान के सभी विषयों के तथ्यों का सरल व रोचक
तरीके से **Oneliner** व **Tables** द्वारा प्रस्तुतिकरण

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में
पिछले 15 वर्षों में पूछे गये प्रश्नों पर आधारित

IAS, PCS, PCS(J), PCS LOWER, RO/ARO, UDA/LDA, SSC,
NDA, CDS, BANK (P.O.), B.Ed., TET, RAILWAY, POLICE, UGC,
QUIZ व अन्य सभी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज
एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी



संपादक एवं लेखक
ऋतेश कुमार सिंह

लेखन सहयोग

यूसुफ कुरैशी (आई०पी०एस०), वेद प्रकाश (पी०सी०एस०),
बी०कें०सिंह (पी०सी०एस०), राजीव कुमार (मनु)

like us for current updates & GK
facebook.com/PujaBooks

नवजीवन प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स

कंचन मार्केट (फर्स्ट फ्लोर) अस्पताल मार्ग, आगरा-282003

दूरभाष : (0562) 4101500, 7002054055

Website : www.navjeevanprinters.in E.Mail : navjeevanprinters@gmail.com



like us for current updates & GK
facebook.com/pujabooks

मूल्य : ₹ 250.00

प्रस्तावना

प्रस्तुत पुस्तक 'सामान्य ज्ञान' का चतुर्थ संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण पूर्णतया वैज्ञानिक एवं आधुनिक तरीके से तैयार IAS, PCS, PCS(J), LOWER PCS, R.O., UDA/LDA, SSC, NDA, CDS, B.Ed., TET, POLICE एवं RAILWAY भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान से पूछे गए प्रश्नों के आधार पर लिखी गई है। मैंने इस पुस्तक को अथवा एवं शोधपरक प्रयास के जरिए तथा तमक एवं सार रूप में लिखकर एवं पूर्ण रूप से UP-TO-DATE करके सभी टूटिकोणों से उपयोगी बनाने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध तरीके से सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है, जो पूर्ण रूप से स्तरीय है। प्रत्येक अध्याय में अध्यायन सामग्रियों के बीच-बीच में बॉक्स एवं टेबिल के रूप में महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी गई हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं।

इस पुस्तक को उपयोगी बनाने में जिन विशेषज्ञों तथा सहकर्मियों का हमें सहयोग मिला उनके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इनमें विशेष रूप से यूसुफ कुरैशी (आई.पी.एस.), अशोक कुमार (पी.पी.एस.), बी.के. सिंह (पी.सी.एस.) वैद प्रकाश (पी.सी.एस.) एवं राजीव कुमार (मलु) का योगदान उल्लेखनीय रहा है। अन्ततः सार्थक प्रयासों के बावजूद इस पुस्तक में कुछ कमियों के बने रहने की सम्भावना हो सकती है। अतः आप सभी पाठकों के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। अतः अन्त में पाठकों से एक बात अवश्य ही कहना चाहिए—

“इतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है,
जितना कौशिश करने वाले छोड़ देते हैं।”

—सम्पादक एवं लेखक
ऋतेश कुमार सिंह

समर्पित

उन प्रतिभाशाली पुरुषों को, जिन्होंने राष्ट्र को दिशा देने के प्रयास में अपने सारे जीवन को, अपनी सम्पूर्ण आकंक्षाओं को विकृत परिवेश की लपतों में झोक दिया।

मेरे प्रेरणास्रोत एवं युगपुरुष पूज्य पिताजी

स्व. ब्रजभूषण लाल

को सादर समर्पित

ISBN No.: 9789388584340

प्रकाशक : राजीव जैन, नवजीवन प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स,
कंचन मार्केट (फर्स्ट फ्लोर), अस्पताल मार्ग, आगरा-3

मुद्रक : आध्या ऑफसेट, आगरा डी.टी.पी. : नरेन्द्र सिंह

① इस पुस्तक में प्रकाशित सामग्री का पूर्ण अधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। इस पुस्तक को या इसके किसी भाग को प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना प्रकाशित करना वर्जित है।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है। फिर भी किसी त्रृटि के लिए प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होगा। किसी भी परिवाद के लिए न्यायिक केन्द्र केवल आगरा ही होगा।

विषय सूची

1. राष्ट्रीय प्रतीक

1-6

राष्ट्रीय प्रतीक : एक परिचय ★ राष्ट्रीय ध्वज : तिरंगा ★ राष्ट्रीय गान ★ राष्ट्रीय गीत ★ राष्ट्रीय चिह्न : अशोक स्तम्भ ★ राष्ट्रीय पंचांग : कैलेण्डर ★ राष्ट्रीय पशु : बाघ ★ राष्ट्रीय पक्षी : मयूर ★ राष्ट्रीय पुष्प : कमल ★ राष्ट्रीय वृक्ष : बरगद ★ राष्ट्रीय फल : आम ★ राष्ट्रीय खेल : हॉकी ★ राष्ट्रीय नदी : गंगा ★ राष्ट्रीय जलीय जीव : डॉलिफन ★ राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक : ₹ ★ राष्ट्रीय स्मारक : इंडिया गेट ★ राजभाषा : हिन्दी ★ राष्ट्रीय विरासत पशु : हाथी एवं अन्य राष्ट्रीय प्रतीक।

2. भारतीय इतिहास

7-78

प्राचीन भारत – प्रागैतिहासिक काल ★ सिन्धु सभ्यता/हङ्गा सभ्यता ★ वैदिक काल ★ बौद्ध धर्म ★ जैन धर्म ★ महाजनपदों का उदय ★ शैव धर्म ★ वैष्णव धर्म ★ इस्लाम धर्म ★ मगध राज्य का उत्कर्ष ★ मौर्य साम्राज्य ★ मौर्योत्तर काल (शुंग वंश ★ कण्व वंश ★ सातवाहन वंश) ★ भारत के यवन राज्य (इण्डो-ग्रीक ★ शक ★ पहलव ★ कुशाण) ★ संगम युग (चैर ★ चोल तथा पाण्ड्य राज्य) ★ गुप्त साम्राज्य ★ पुष्टि यूति वंश ★ दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश (पल्लव ★ चालुक्य ★ राष्ट्रकूट ★ चोल ★ होयसल ★ काकतीय ★ यादव) ★ सीमावर्ती राजवंशों का उदय ★ राजपूत राजवंश की उत्पत्ति ★ विजयनगर साम्राज्य।

मध्यकालीन भारत – भारत पर अरबों के आक्रमण ★ दिल्ली सल्तनत (गुलाम वंश ★ खिलजी वंश ★ तुगलक वंश ★ सैयद वंश ★ लोदी वंश) ★ मुगल साम्राज्य ★ शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य।

आधुनिक भारत – मुगल साम्राज्य का पतन ★ भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण ★ भारत में यूरोपीय आगमन ★ गवर्नर/गवर्नर जनरल/वायसराय।

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन – 1857 विद्रोह का आरम्भ और विस्तार ★ अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह ★ भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन ★ कांग्रेस अधिवेशन : एक नजर में ★ प्रमुख भारतीय द्रांतिकारी संगठन ★ भारत छोड़ो आन्दोलन ★ प्रमुख आधुनिक भारतीय समाचार पत्र ★ भारत के महान शहीद ★ भारतीय स्वतन्त्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य।

3. भारतीय राजव्यवस्था

79-123

भारत का संवैधानिक विकास ★ भारतीय संविधान सभा ★ भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत ★ भारतीय संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका ★ संविधान की अनुसूचियाँ ★ भारतीय संविधान के भाग ★ भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ★ भारतीय नागरिकता ★ मौलिक अधिकार ★ राज्य के नीति निवेशक तत्व ★ मूल कर्तव्य ★ संघ की कार्यपालिका ★ कुछ अन्य विशेष तथ्य भारत की संसद ★ न्याय व्यवस्था ★ राज्य की कार्यपालिका ★ जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 वापस ★ केन्द्र-राज्य सम्बन्ध ★ वित्तीय व्यवस्था ★ नीति आयोग ★ राष्ट्रीय विकास परिषद ★ निर्वाचन आयोग ★ सिविल सर्विसेज के गठन से सम्बन्धित आयोग ★ राजभाषा ★ भारतीय राजव्यवस्था में वीर्यता अनुक्रम ★ भारत के राजनीतिक दल ★ पंचायती राजव्यवस्था ★ पिछड़ा वर्ग आयोग ★ संवैधानिक शब्दावली ★ भारत के संविधान संशोधन ★ भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद ★ महत्वपूर्ण विभाग ★ विविध महत्वपूर्ण तथ्य ★ नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 तथा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर(NRC)।

4. सामाज्य विज्ञान

124-197

भौतिक विज्ञान – यांत्रिकी ★ तेल की माप ★ गति ★ कार्य ★ शक्ति एवं ऊर्जा ★ गुरुत्वाकर्षण ★ दाब ★ पृष्ठ तनाव ★ इयानता ★ प्रत्यास्थता ★ उत्क्षेप या उत्प्लावन बल ★ सरल आवर्त गति ★ तरंग गति ★ ऊर्ध्वा ★ प्रकाश ★ विद्युत ★ चुम्बकत्व ★ परमाणु भौतिकी ★ विभिन्न यन्त्रों व उपकरणों का आविष्कार ★ प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र ★ विविध महत्वपूर्ण तथ्य।

रसायन विज्ञान – पदार्थ एवं उसकी प्रकृति ★ धातुएँ व अधातुएँ एवं उनके यौगिक विलयन ★ बहुलीकरण व प्लास्टिक ★ उर्वरक ★ ईंधन ★ विस्फोटक ★ रेडियो सक्रियता ★ विविध महत्वपूर्ण तथ्य।

जीव विज्ञान – शैवाल ★ कवक ★ कोशिका ★ विषाणु ★ जीवाणु ★ डी.एन.ए. ★ प्रकाश संश्लेषण ★ पादप हॉर्मोन्स ★ पादप रोग ★ आनुवंशिकी ★ विविध महत्वपूर्ण तथ्य ★ जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ ★ मानव शरीर के तन्त्र ★ रक्त परिसंचरण तन्त्र ★ उत्सर्जन तन्त्र ★ तन्त्रिका तन्त्र ★ अस्थि तंत्र ★ हॉर्मोन तथा उसके प्रभाव ★ प्रजनन तन्त्र ★ इवसन तन्त्र ★ पोषण एवं स्वास्थ्य ★ मानव रोग ★ जैव प्रौद्योगिकी ★ प्रमुख अन्तर ★ आधुनिक चिकित्सा की प्रमुख खोजें ★ विविध महत्वपूर्ण तथ्य।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी ★ भारत के प्रमुख प्रक्षेपास्त्र ★ अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी ★ संचार प्रौद्योगिकी।
कम्प्यूटर – कम्प्यूटर का विकास ★ कम्प्यूटर की पीढ़ियाँ ★ कम्प्यूटर की भाषाएँ ★ कम्प्यूटर के भाग एवं कार्य प्रणाली ★ इंटर्नेट
शब्दावली ★ यूट्यूब ★ सुपर कम्प्यूटर ★ कम्प्यूटर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य।

5. विश्व का भूगोल

198-228

ब्रह्माण्ड ★ सौर मण्डल ★ स्थलमण्डल ★ ज्वालामुखी ★ भूकम्फ ★ झीलें ★ विश्व के महाद्वीप ★ विश्व के द्वीप ★ पठार एवं पर्वत ★
जलमण्डल ★ वायुमण्डल ★ चक्रवात ★ विश्व में परिवहन ★ विश्व की नहरें व नदियाँ ★ विश्व के प्रमुख उद्योग ★ विश्व के प्रमुख
खनिज संसाधन ★ विश्व की प्रमुख फसलें व उत्पादक देश ★ विश्व की प्रमुख जनजातियाँ ★ विश्व के प्रमुख नाम परिवर्तन ★
संसार की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएँ ★ विश्व की प्रमुख भाषाएँ ★ विश्व में घास के मैदान ★ विविध तथ्य।

6. भारत का भूगोल

229-267

भारत का भौतिक भूगोल ★ हिमालय के चार प्रदेश ★ भारत की प्रमुख झीलें ★ भारत की नदियाँ ★ नदी घाटी परियोजनाएँ ★ भारत
की जलवायु ★ भारत की मिट्टी ★ राज्यवार भारत के राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य ★ भारत के उद्योग ★ भारत के खनिज संसाधन
★ परिवहन ★ भारतीय कृषि ★ भारत की प्रजातियाँ व जनजातियाँ ★ पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण ★ अन्तिम जनगणना 2011
(अन्तिम आंकड़े) ★ विविध तथ्य।

7. भारतीय अर्थव्यवस्था

268-306

अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था ★ आर्थिक एवं सामाजिक विकास ★ नीति आयोग ★ राष्ट्रीय विकास परिषद ★ पंचवर्षीय योजनाएँ ★
इण्डिया विजन-2020 ★ बजट ★ केन्द्र और राज्य के बीच वित्तीय सम्बन्ध ★ वस्तु एवं सेवा कर ★ भारत में निर्धनता ★ मानव
विकास रिपोर्ट-2019 ★ भारत की राष्ट्रीय आय ★ भारतीय बैंक ढाँचा ★ भारत में विकास एवं रोजगार कार्यक्रम ★ हरित क्रांति ★
इवेट क्रांति ★ भारत के कृषि उत्पादक राज्य ★ उद्योग ★ विशेष आर्थिक क्षेत्र ★ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ★ मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी
★ विश्व व्यापार संगठन ★ विविध महत्वपूर्ण तथ्य ★ आर्थिक शब्दावली ★ महत्वपूर्ण समितियाँ।

8. विविध

307-358

समाधि स्थल ★ विश्व में प्रथम ★ विश्व में सबसे लम्बा/बड़ा छोटा तथा ऊँचा ★ भारत में सबसे बड़ा, लम्बा एवं ऊँचा ★ प्रथम
भारतीय पुरुष ★ प्रथम भारतीय महिला ★ भारत में प्रथम (अन्य) ★ विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम ★ महान् व्यक्तियों के
उपनाम ★ वैशिक संगठन ★ विश्व के प्रमुख देशों की संसदों के नाम ★ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय गान ★ प्रमुख देशों के राजनीतिक
दल ★ राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्षों के आधिकारिक निवास/कार्यस्थल ★ प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज ★ विभिन्न देशों के
स्वतन्त्रता दिवस ★ प्रमुख देशों की गुप्तचर संस्थाएँ ★ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय प्रतीक ★ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय फूल ★ प्रमुख देशों
के राष्ट्रीय पशु ★ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल ★ कुछ चिन्ह/प्रतीक तथा उनके अर्थ ★ राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरचनाएँ ★ विश्व
के प्रमुख आतकावादी/उग्रवादी संगठन ★ विश्व के आश्चर्य ★ प्रमुख समाचार एजेंसियाँ ★ प्रमुख देशों के सर्वोच्च सम्मान ★ विश्व
के देश ★ महत्वपूर्ण दिवस ★ संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष ★ भारत के प्रमुख शोध संस्थान ★ भारत के प्रशिक्षण संस्थान ★ प्रमुख
राजवंश ★ संस्थापक तथा राजधानी ★ नगरों के संस्थापक ★ ऐतिहासिक स्थल ★ भारत के पर्वतीय नगर एवं समुद्रतल से ऊँचाई
★ भारत की विश्व विरासत परिसम्पत्तियाँ ★ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य—उद्गम स्थल ★ भारत की प्रमुख लोककला ★ प्रमुख लोक नृत्य
★ भारत के सांस्कृतिक संस्थान ★ भारत के प्रमुख वाद्ययंत्र ★ भारतीय प्रतिरक्षा ★ प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तकें ★ भारत के
प्रमुख धार्मिक स्थल ★ पुरस्कार/सम्मान तथा विविध पुरस्कार ★ खेलकूद।

9. भारत के राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश

359-384

राज्य – उत्तर प्रदेश ★ उत्तराखण्ड ★ बिहार ★ मध्यप्रदेश ★ राजस्थान ★ झारखण्ड ★ छत्तीसगढ़ ★ गुजरात ★ पंजाब ★ हरियाणा ★
हिमाचल प्रदेश ★ महाराष्ट्र ★ पश्चिम बंगाल ★ तमिलनाडु ★ केरल ★ कर्नाटक ★ आन्ध्रप्रदेश ★ तेलंगाना ★ गोवा ★ ओडिशा ★
असोम ★ अरुणाचल प्रदेश ★ सिक्किम ★ नगालैण्ड ★ त्रिपुरा ★ मणिपुर ★ मेघालय ★ मिजोरम

भारत के केन्द्र शासित प्रदेश – दिल्ली ★ चंडीगढ़ ★ अण्डमान निकोबार द्वीप समूह ★ दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली ★
पुदुचेरी ★ लक्ष्मीपुर ★ जम्मू और कश्मीर ★ लद्दाख।

1

राष्ट्रीय प्रतीक

भारत के राष्ट्रीय प्रतीक

राष्ट्रपिता : महात्मा गांधी



- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म **2 अक्टूबर, 1869** ई. में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इंग्लैण्ड में वकालत पास कर भारत आये फिर 1893 ई. में भारतीयों और अफ्रीकी अश्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार और रंगभेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने आन्दोलन किया।
- गांधीजी ने अंग्रेजों के खिलाफ 'सत्य' और 'अहिंसा' की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतन्त्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। **1917 से 1947** तक के राष्ट्रीय आन्दोलन के काल को 'गांधी युग' के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम सुभाषचन्द्र बोस ने महात्मा गांधी को 'राष्ट्रपिता' नाम से सम्मोहित किया।
- रवीन्द्र नाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचन्द गांधी को 'महात्मा' कहा था।
- पं. जवाहर लाल नेहरू ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को 'बापू' कहा था।
- विस्टन चर्चिल ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को 'अद्वितीय फकीर' कहा था।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी : एक परिचय

- | | |
|--|---|
| ■ पूरा नाम | — मोहनदास करमचन्द गांधी |
| ■ पिता | — करमचन्द गांधी |
| ■ माता | — पुतलीबाई |
| ■ जन्म | — 2 अक्टूबर, 1869 ई. |
| ■ मृत्यु— | 30 जनवरी, 1948 ई. (78 वर्ष की आयु में निधन) (पं. नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था कि मेरे जीवन का प्रकाश चला गया।) |
| ■ जन्म स्थान | — पोरबंदर जिला (काठियावाड़, गुजरात) |
| ■ विवाह | — 1883 ई. में कस्तुरबा गांधी (गांधी से 6 महीने बड़ी) |
| ■ पुत्र | — हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास |
| ■ महात्मा गांधी का पाँचवां पुत्र (माना जाता है)— | जमना लाल बजाज |
| ■ राजनीतिक गुरु | — गोपालकृष्ण गोखले |
| ■ प्रमुख शिष्या— | इंग्लैण्ड में जन्मी मीरा बेन (महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम) का वास्तविक नाम मैडलीन स्लेड था। |
| ■ कानून की पढाई के लिए इंग्लैण्ड गये | — 1888 ई. (मुम्बई से) |

- कानून (बैरिस्टर) की डिग्री प्राप्त — 1891 ई.
- अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका — 1893 ई.
- दक्षिण अफ्रीका में नेटाल कांग्रेस की स्थापना — 1894 ई.
- दक्षिण अफ्रीका में जुलु व बोअर पदक — 1899 ई.
- कैसर-ए-हिन्द प्राप्त — 9 जनवरी, 1915 ई.
- डरबन (दक्षिण अफ्रीका) में फीनिक्स आश्रम की स्थापना — 2 सितम्बर, 1904 ई.
- नेटाल इंपिड्यन कांग्रेस — 1894
- सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग — 1906 ई. (दक्षिण अफ्रीका में)
- कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल — 1901 ई. (कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन)
- जेल जीवन का प्रथम अनुभव — 1908 ई.
- टॉलस्टाय फार्म की स्थापना—30 मई 1910 ई. (जोहान्स्बर्ग, दक्षिण अफ्रीका) भूमिदान जर्मन मित्र हर्फन कालेनबाख द्वारा प्रदान जबकि नामकरण रसी विद्वान लियो टॉलस्टाय के द्वारा हुआ। बाद में यह गांधी आश्रम कहलाया।
- महात्मा गांधी भारत आगमन—9 जनवरी, 1915 ई. (मुम्बई) में अपोलो बंदरगाह पर S.S. सुदीव जहाज से उतरे।
- सावरमती आश्रम की स्थापना — 17 जून, 1917 ई.
- कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता — 1924 (बेलगांव, कर्नाटक)
- महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय — 21 वर्ष
- आत्मकथा — सत्य के मेरे प्रयोग (1925)
- रामराज्य के युगल सिद्धान्त — सत्य एवं अहिंसा
- अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना — 1923
- अखिल भारतीय चखा संघ की स्थापना — 23 सितम्बर, 1925
- प्रमुख पुस्तकों—इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंपिड्यन फ्रैंचाइज, अनासवित योग, गीता माता, व स्टोरी ऑफ माई एक्सप्रेसेंट विद ट्रुथ (आत्मकथा) (1921), सत महाव्रत, हिन्द स्वराज या इंपिड्यन होमरुल (1909) (गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी संस्कृति का विरोध), सुनो विद्यार्थियों।
- प्रमुख समाचार-पत्र—इंडियन ओपिनियन (1903, दक्षिण अफ्रीका में), द ग्रीन पैम्पलेट (14 अगस्त, 1896 राजकोट), यंग इंडिया (1919), हरिजन (1932)।
- गांधी जी समर्थक थे—दार्शनिक अराजकता के
- गांधी जी का आर्थिक सिद्धान्त आधारित है—न्यासिता (Trustiship theory)
- गांधी जी की पहली पुस्तक—लंदन गाइड (1888 ई.)
- गांधी जी को किस पुस्तक ने प्रभावित किया—अन टू दिस लास्ट (जॉन रस्किन की)

स्पष्ट किया गया है कि इसके साथ शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

■ भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएँ शामिल की गयी थीं, परन्तु अब 22 भाषाएँ हैं—

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. हिन्दी | 2. मलयालम | 3. बंगाली |
| 4. असमिया | 5. तमिल | 6. तेलुगू |
| 7. मराठी | 8. उडिया | 9. पंजाबी |
| 10. संस्कृत | 11. सिन्धी | 12. गुजराती |
| 13. कश्मीरी | 14. उर्दू | 15. कन्नड़ |
| 16. कोंकणी | 17. मणिपुरी | 18. नेपाली |
| 19. डोगरी | 20. बोडो | 21. सन्धारी |
| 22. मैथिली | | |

■ भारत का प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बी. जी. खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया।

राष्ट्रीय विरासत पश्च : हाथी

22 अक्टूबर, 2010 में भारत सरकार ने एशियाई हाथी को 'राष्ट्रीय विरासत पश्च' (National Heritage Animal) घोषित किया। सरकार ने वन्य क्षेत्रों में रहने वाले हाथियों के संरक्षण के लिए फरवरी, 1992 में 'प्रोजेक्ट एलिफेण्ट' (हाथी परियोजना) की शुरुआत की थी।



■ हाथी के साक्ष्य सर्वप्रथम 'सिन्धु घाटी सभ्यता' की मुहरों पर मिलते हैं।

■ वैदिक देवता इन्द्र ऐश्वर नामक हाथी को अपने वाहन के रूप में उपयोग करते थे।

■ राजस्थान के प्रसिद्ध आमेर किले (जयपुर) के पास 'कुण्डा गाँव' को 20 जून, 2010 में देश का पहला 'हाथी गाँव' घोषित किया है, जो विश्व का तीसरा हाथी गाँव है।

अन्य राष्ट्रीय प्रतीक

■ राजभाषा —हिन्दी

■ राष्ट्रीय लिपि —देवनागरी

■ राष्ट्रीय पर्व —गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी), स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त), गांधी जयन्ती (2 अक्टूबर)।

■ राष्ट्रीय दस्तावेज —श्वेत पत्र

■ राष्ट्रीय योजना —पंचवर्षीय योजना

■ राष्ट्रीय मन्त्र —ओ३८

■ राष्ट्रीयता —भारतीय

■ राष्ट्रीय वाक्य —सत्यमेव जयते

■ सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार —भारत रत्न

■ राष्ट्रीय मिठाई —जलेबी

■ राष्ट्रीय विदेश नीति —गुट-निरपेक्ष

□□

IAS, UPPCS, BPSC, RAS, MPPSC, UKPCS, UPSSSC

एवं अन्य राज्य लोक सेवा आयोग, लोअर संबोर्डिनेट, पुलिस (एस.आई. व कांस्टेबल), UPSI, समीक्षा अधिकारी, हाई कोर्ट, राजस्व विभाग, बीएड., टी.ई.टी., अध्यापक भर्ती आदि परीक्षाओं हेतु उपयोगी।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी



**सम्पूर्ण द्वासान्धि
हिन्दी**

1567
वस्तुनिष्ठ
प्रश्न व्याख्यात्मक
उत्तर सहित

लेखक
• हितेश कुमार
• वर्षा राणी (Ph.D., DEI, Agra)



मूल्य-220

हिन्दी भाषा का इतिहास

रस

अलंकार

छंद

श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द

समास

हिन्दी साहित्यकार और उनकी रचनाएं

वर्णमाला

सम्पूर्ण व्याकरण का सरल व रोचक तरीके व Tables द्वारा प्रस्तुतीकरण • हिन्दी साहित्य और उनकी रचनाओं का समावेश प्रशासनिक शब्दावली • अपठित ग्रन्थांश एवं पर्यांश • विगत 15 वर्षों के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों का समावेश

2

भारतीय इतिहास

प्राचीन भारत

प्रार्थितिहासिक काल

- (प्राक् + इतिहास) अर्थात् इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्त्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मानव का जीवन अपेक्षाकृत असम्भव एवं बर्बर था।
- भारत में पुरापाषाण काल से सम्बन्धित पुरातात्त्विक खोज को करने का श्रेय राबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के रॉबर्ट ब्रूस फूट ने वर्तमान तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट जिले के पल्लावरम (चन्नई के समीप) नामक पुरास्थल से 30 मई, 1868 ई. में लैटेराइट मिट्टी के जमाव से हस्त कुठार खोज निकाला था।
- राबर्ट ब्रूस फूट को भारत में प्रार्थितिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है।
- भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय वायसराय लॉर्ड कर्जन को प्राप्त है।
- मानव सभ्यता के इस प्रारम्भिक काल को सुविधानुसार तीन भागों में बाँटा गया है—
 (A) पुरापाषाण काल (Paleolithic Age),
 (B) मध्यपाषाण काल (Mesolithic Age),
 (C) नवपाषाण काल (Neolithic Age)।

(A) पुरापाषाण काल

- उपकरणों पर आधारित पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक स्थान से चित्रित शैलाश्रयों तथा अनेक चित्रित गुफाओं से प्राप्त हुए हैं।
- इस काल में हैण्ड-ऐव्स, क्लीवर और स्क्रैपर आदि विशिष्ट यन्त्र प्राप्त हुए हैं।

(B) मध्यपाषाण काल

- इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे इसलिए इन्हें 'माइक्रोलिथ' कहते हैं।
- इस काल में मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागोर से पश्चालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
- इस काल में मानव की अस्थियों का पहला प्रारूप प्रतापगढ़ (उ. प्र.) के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है।
- हड्डियों से निर्मित आभूषण मध्यपाषाणकाल में महदहा से प्राप्त हुए हैं।

(C) नवपाषाण काल

- नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित ब्लूचिस्तान प्रान्त मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था।
- नवपाषाण काल में बुर्जहोम एवं गुफकराल (जो कश्मीर प्रान्त में स्थित है) से अनेक गर्तवास (Pit Dwelling, गड्ढाघर), अनेक प्रकार के मृद्भाण्ड एवं प्रस्तर तथा हड्डी के अनेक औजार प्राप्त हुए हैं।
- बुर्जहोम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था।
- चिरांद (विहार) नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल एकमात्र ऐसा पुरास्थल है, जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाये गये हैं। जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं।
- उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट कॉलिड्हवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है।
- नवपाषाणिक पुरास्थल मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य एवं नवपाषाणिक प्राचीनतम बस्ती एवं कच्चे घरों के साक्ष्य मिले हैं।
- विध्य क्षेत्र का लेखिया के शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं।
- राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है।
- एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुए हैं।

सिन्धु सभ्यता/हड्डा सभ्यता

- सर्वप्रथम चार्ल्स मौसान ने 1826 ई. में हड्डा टीले के बारे में जानकारी दी थी।
- सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिन्धु सभ्यता का नाम दिया।
- सन् 1921 ई. में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब (वर्तमान पाकिस्तान) के माण्टगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड्डा का अन्वेषण किया।
- इस सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर (उ. प्र.), पश्चिमी पुरास्थल सुक्तगोमडेर (ब्लूचिस्तान), उत्तरी पुरास्थल माँडा (लदाख) तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद (मध्यराष्ट्र) हैं।
- स्टुअर्ट पिगगट ने हड्डा और मोहनजोदहो को सिन्धु सभ्यता की जुड़वाँ राजधानीयाँ बताया है।
- हड्डा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि आर-37 नाम दिया गया है।
- हड्डा से प्राप्त बर्तन पर स्त्री के गर्भ से निकल हुआ पौधा, पीतल की बनी इक्का गाढ़ी तथा गेहूं और जौ के दाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- पाकिस्तान के सिन्ध प्रान्त के लरकाना जिले में सिन्धु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदहो का उत्खनन 1922 ई. में राखालदास बनर्जी ने करवाया।

- शिया हजरत अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मुहम्मद का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। हजरत अली मुहम्मद साहब के दामाद थे।
- 661 ई. में हजरत अली की हत्या कर दी गई। हजरत अली के पुत्र हुसैन अली की हत्या भी 680 ई. में कर्बला (ईरान) नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया।
- पैगम्बर मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी 'खलीफा' कहलाये। इस्लाम जगत में यह पद 1924 ई. तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया।
- सर्वप्रथम पैगम्बर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इन ईशाक ने लिखा।
- पैगम्बर मुहम्मद साहब के जन्म दिन पर 'ईद-ए-मिलाद-उन-नबी' पर्व मनाया जाता है।
- मुहम्मद साहब की शिक्षाओं तथा उपदेशों का उल्लेख पवित्र ग्रन्थ 'कुरान' में मिलता है।

ईसाई धर्म

- | | |
|--|----------------------|
| संस्थापक | ईसा मसीह |
| जन्म स्थान | बैथलेहम (जेरूसलेम) |
| पिता का नाम | जोसेफ |
| माता का नाम | मैरी |
| प्रथम दो शिष्य | एण्ड्रस एवं पीटर |
| पवित्र चित्र | क्रॉस |
| जन्म दिवस | क्रिसमस (25 दिसम्बर) |
| रोमन गवर्नर पॉटियस ने ईसा मसीह को 33 ई. में सूली पर चढ़ाया था। | |
| ईसा मसीह ने अपने जीवन के प्रारम्भिक 30 वर्ष एक बद्री के रूप में बैथलेहम के निकट नाथरेथ में बिताये। | |
| ईसाई धर्म ईश्वर-पिता, ईश्वर-पुत्र (ईसा), ईश्वर-पवित्र आत्मा में विश्वास रखते हैं। | |

मण्डि राज्य का उत्कर्ष

- | | |
|--|--|
| संस्थापक | बृहद्रथ |
| राजधानी | गिरिब्रज (राजगृह) |
| हर्यक वंश का संस्थापक विम्बिसार | 545 ई. पू. में मगध की गद्दी पर बैठा और 52 वर्षों तक शासन किया। |
| विम्बिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। | |
| विम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा। | |
| विम्बिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वैवाहिक सम्बन्धों का सहारा लिया। उसने कोशल नरेश प्रसेनजित की बहन से, वैशाली के चेतक की पुत्री चैलना से तथा पंजाब की राजकुमारी क्षेमद्वारा से शादी की। | |
| 493 ई. पू. में विम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और स्वयं मगध की गद्दी पर बैठा। | |
| मगध के प्रभुत्व का संस्थापक अजातशत्रु (कुणिक) था। उसने वैशाली के लिच्छवियों को पराजित किया तथा काशी तथा वज्ज संघ को भी पराजित कर मगध साम्राज्य में मिलाया। | |
| अजातशत्रु के ही शासन काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, जिसमें बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों विनयपिटक तथा सुत्पिटक में संकलित किया गया। | |
| 461 ई. में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायिन द्वारा कर दी गई। यह पितृहन्ता शासक कहलाता है। | |
| उदायिन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र (कुसुमपुरा) नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। | |
| उदायिन जैन धर्म का अनुयायी था। | |

- हर्यक वंश का अन्तिम शासक उदायिन का पुत्र नागदशक था। उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ई. में उसे राजगद्दी से हटाकर वैशाली स्थापित की।
- शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की।
- शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक ने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया।
- कालाशोक के ही शासन काल के दसवें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ।
- शिशुनाग वंश का अन्तिम शासक नन्दिवर्द्धन (महानन्दिन) था।
- नन्द वंश का संस्थापक महापद्म नन्द था।
- पुराणों में महापद्म नन्द को सर्वक्षत्रान्तक (क्षत्रियों का नाश करने वाला) तथा भारगव (दूसरे परशुराम का अवतार) कहा गया। एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एकराट और एकचत्र की उपाधि धारण की।
- महापद्म नन्द पहला शासक था जिसने दक्षिण विन्ध्य पर्वत के दक्षिण में मगध का झण्डा फहराया था।
- नन्द वंश का अन्तिम शासक धनानन्द था। यह सिकन्दर का समकालीन था। इसे चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानन्द की हत्या कर मौर्य वंश के शासन की नींव डाली।

सिकन्दर

- | | |
|---|--------------------------|
| जन्म | 356 ई. पू. |
| पिता का नाम | फिलिप (मकदूनिया का शासक) |
| गुरु | अरन्त्रू |
| सेनापति | सेल्यूक्स निकेटर |
| भारत विजय अभियान के तहत सिकन्दर ने 326 ई. पू. में बल्ख (बैक्ट्रिया) को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिन्दुकुश पर्वत को पार किया। | |
| तक्षशिला के शासक आम्बी ने आत्म-समर्पण के साथ उसका स्वागत करते हुए उसे आगे के अभियान में सहयोग का वचन दिया। | |
| 326 ई. पू. में सिकन्दर को झेलम नदी के टट पर पौरव राज पोरस के साथ 'वितस्ता का युद्ध' या 'झेलम का युद्ध' करना पड़ा। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई। इस युद्ध को 'हाइडेस्पीज का युद्ध' नाम से भी जाना जाता है। | |
| आगे के अभियान के लिए सिकन्दर के सैनिकों ने व्यास नदी पार करने से इन्कार कर दिया। | |
| सिकन्दर ने निकैया (विजयनगर) तथा बुकाफेला (घोड़े के नाम पर) नामक दो नगरों की स्थापना की। | |
| सिकन्दर विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया। लगभग 323 ई. में बेवीलोन में उसका निधन हो गया। | |
| भारत में यूनानी प्रभाव वंश क्षत्रप प्रणाली और 'उलूक शैली' के सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। | |

मौर्य साम्राज्य

- चन्द्रगुप्त मौर्य
- स्टैप्ले, एस्थिन, जस्टिन और प्लूटोर्के मौर्य वंश के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य को 'सैण्ड्रोकोट्टस' के नाम से पुकारा है, जिसकी पहचान विलियम जॉस ने चन्द्रगुप्त मौर्य से की है।
- सर्वप्रथम सर विलियम जॉस ने सन् 1793 ई. में सैण्ड्रोकोट्टस की पहचान चन्द्रगुप्त मौर्य से की है।
- विशाखदत्त कृत 'मुद्राराज्ञस' में चन्द्रगुप्त को 'वृष्टल' या 'कुलहीन' कहा गया है।
- तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य 'चाणक्य' थे। यह सिन्धु एवं झेलम नदियों के बीच स्थित था। चन्द्रगुप्त मौर्य के आचार्य चाणक्य (कौटिल्य/विष्णुगुप्त) ने सप्तांग सिद्धान्त (Sapataang Theory) का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार राज्य के अंग हैं—राजा, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र।

- दक्षिण भारत की पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण भारत की **द्रविड़ कला शैली** का आधार बनी।
- दक्षिण भारत के पल्लवों के रथ मन्दिरों में **भीम रथ सबसे बड़ा** तथा **द्वौपटी रथ** सबसे छोटा है।
- रथ मन्दिरों में **भीम रथ** या **धर्मराज रथ** सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। इसे द्रविड़ मन्दिर शैली का अग्रदृढ़ कहा जा सकता है। इसी रथ मन्दिर पर नरसिंह वर्मन की मूर्ति अंकित है। इन रथों को **'सप्त-प-गोडा'** कहा जाता है।

चालुक्य वंश (वातापी)

- संस्थापक**—जयसिंह
- राजधानी**—वातापी या बादामी
- अनुयायी**—शैव मत
- 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य दक्षिणापथ पर चालुक्यों की जिस शाखा का शासन रहा, उन्हें **बादामी या वातापी** का चालुक्य कहा जाता है।
- इस वंश के प्रमुख शासक पुलकेशिन प्रथम, कीर्ति वर्मन, पुलकेशिन-II, विक्रमादित्य-II, विनयादित्य एवं विजयादित्य।
- इस वंश के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है—**पुलकेशिन का एहोल अभिलेख**, जो प्राचीति के रूप में संस्कृत भाषा में रचि कीर्ति द्वारा लिखा गया है।
- पुलकेशिन प्रथम** ने अपने शासनकाल में बहुत से **अश्वमेघ यज्ञ** किये थे।
- पुलकेशिन द्वितीय** चालुक्यों का महान् शासक था। एहोल अभिलेख से पता चलता है कि उसने नर्मदा नदी के टट पर **हर्षवर्द्धन** की **विशाल सेना** को पराजित किया था। इस विजय के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने '**परमेश्वर**' की उपाधि धारण की। इसके अलावा उसने **दक्षिणापथेश्वर, पृथ्वीवल्लभ, सत्याश्रय, श्रीपृथ्वी वल्लभ महाराज** जैसी उपाधियाँ धारण कीं।
- इस वंश का अन्तिम राजा **कीर्तिवर्मन द्वितीय** था। इसी के सामन्त **दन्तिदुर्ग** ने परास्त कर नये वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की।
- चालुक्य प्रशासन में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था।

राष्ट्रकूट

- संस्थापक**—दन्तिदुर्ग
- राजधानी**—मान्यछेत्र
- प्रमुख शासक—कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविन्द तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण-II, इन्द्र-III एवं कृष्ण-III।
- राष्ट्रकूट बादामी** (वातापी) के चालुक्यों के सामन्त थे।
- ऐसा माना जाता है कि दन्तिदुर्ग ने **उज्जैयिनी** में **हिरण्यगर्भ (महादान)** नामक महायज्ञ कराया जिसमें प्रतिहार नरेश ने द्वारपाल का कार्य किया था।
- दन्तिवर्मन के बाद उसका चाचा **कृष्ण प्रथम** (756 ई.) शासक बना जिसने बादामी के चालुक्यों के अस्तित्व को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया।
- विजेता होने के साथ-साथ **कृष्ण प्रथम** एक निर्माता भी था। उसने **एलोरा** के प्रसिद्ध **कैलाश मन्दिर** (**गुहा मन्दिर**) का निर्माण करवाया था। यह मंदिर वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है।
- राष्ट्रकूट शासक ध्रुव (धारा वर्ष) 780 ई. में सिंहासन पर बैठा। ध्रुव दक्षिण भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया तथा प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया।
- ध्रुव ने अपने सफल अभियानों के पश्चात् “**अपने राज्यिह पर गंगा और यमुना के प्रतीक के रूप में अंकित करवाया।**”
- ध्रुव का उत्तराधिकारी **गोविन्द तृतीय** हुआ। इसने चोल, गंग, पाण्ड्य तथा केरल के राजाओं के संगठन को पराजित किया।
- गोविन्द तृतीय के बाद उसका पुत्र **अमोघवर्ष (814-878 ई.)** अगला राष्ट्रकूट शासक हुआ। इसकी धर्म एवं साहित्य में अत्यधिक रुचि थी। अमोघवर्ष ने जैन धर्म को संरक्षण देने के साथ ही अमोघवर्ष ने कन्नड़ भाषा में **कविराज मार्ग** नामक ग्रन्थ की रचना की।

अमोघवर्ष के राज दरबार में **आदिपुराण** के रचनाकार **जिनसेन, गणितसार संग्रह** के लेखक **महावीराचार्य** एवं **अमोघवर्ति** के लेखक **सवतायना** आदि रहते थे।

अमोघवर्ष एक प्रकार से दानी स्वभाव का था। एक अवसर पर उसने अपने बायें हाथ की ऊँगली देवी के ऊपर चढ़ा दी थी। उसकी तुलना **दधीचि** जैसे पौराणिक व्यवित्यों से की जाती है।

कृष्ण तृतीय ने अपने राज्यारोहण के समय **अकाल वर्ष** की उपाधि धारण की।

कृष्ण तृतीय ने चोल नरेश **परान्तक प्रथम** को पराजित किया तथा चोल राज्य के उत्तरी भाग को हस्तगत कर लिया। दक्षिण में उसकी सेनाएँ रामेश्वरम् तक पहुँच गयी थीं। वहाँ उसने एक **विजय स्तम्भ** तथा एक मन्दिर का निर्माण करवाया।

इन्द्र-III के शासनकाल में अरब निवासी **अलमसूदी** भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा।

राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की अनुमति दी थी।

राष्ट्रकूट वंश का अन्तिम शासक **कृष्ण-III** था।

पल्लव वंशी शासक **नरसिंह वर्मन प्रथम** ने **पुलकेशिन-II** को परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने ‘**वातापिकाकोण्ड**’ की उपाधि धारण की।

चालुक्य वंश में विजयादित्य का शासनकाल (696-735 ई.) सबसे लम्बे समय तक रहा। उसके उत्तराधिकारियों में उसकी उपाधि **समस्त भुवनश्रय** की मिलती है। इसी के समय में **पट्टडकल** में विशाल शिव मन्दिर का निर्माण करवाया गया था।

विक्रमादित्य-II के शासनकाल में दक्षकन में अरबों ने आक्रमण किया था। इस आक्रमण का मुकाबला पुलकेशी (विक्रमादित्य-II का भतीजा) ने किया था।

विक्रमादित्य-II की प्रथम पत्नी **लोकमहादेवी** ने विरुपाक्ष महादेव मन्दिर का निर्माण करवाया। दूसरी पत्नी **त्रैलोक्य देवी** ने त्रैलोकेश्वर मन्दिर का निर्माण करवाया।

चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य ‘**तककोलम का युद्ध**’ हुआ था।

चालुक्य वंश (कल्याणी)

संस्थापक—तैलप द्वितीय

राजधानी—मान्यछेट/कल्याणी

चालुक्य वंश (कल्याणी) में प्रमुख शासक हुए—तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर-II, विक्रमादित्य-VI, सोमेश्वर-III एवं तैलप-III।

सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी मान्यछेट से हटाकर **कल्याणी** (कर्नाटक) को बनाया।

इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक **विक्रमादित्य-VI** था।

सोमेश्वर प्रथम कोप्पम तथा कुडलसंगमम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह पराजित हुआ। चोलों से निरन्तर पराजय के पश्चात् उसने **तुंगमद्वा** नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली।

विक्रमादित्य षष्ठ (1076-1126 ई.) ने राज्यारोहण के समय एक संवत् का प्रवर्तन किया जिसे **चालुक्य-विक्रम संवत्** कहा जाता है।

विक्रमादित्य षष्ठ की सभा में ‘**विक्रमांकरेवचरित**’ के रचयिता **विल्हण** तथा ‘**मिताक्षरा**’ के लेखक **विज्ञानेश्वर** निवास करते थे। **विल्हण** उसके राजकवि थे।

सोमेश्वर तृतीय को विजयों की अपेक्षा शान्ति के कार्यों में अधिक रुचि थी। वह स्वयं बड़ा विद्वान् था जिसने ‘**मानसोल्लास**’ नामक शिल्पशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना की थी।

एहोल को ‘**मन्दिरों का नगर**’ (Town of Temples) कहा जाता है।

चालुक्य वंश का पारिवारिक चिह्न **वराह** था।

चालुक्य वंश का अन्तिम शासक तैल तृतीय का पुत्र **सोमेश्वर चतुर्थ** था।

- इसके समय में आगा खाँ एवं नवाब सलीम उल्ला खाँ के नेतृत्व में दाका (बांगलादेश) में मुस्लिम लीग (1906ई.) की स्थापना की गयी।
- मिण्टो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य भारत सचिव मॉर्ले के सहयोग से लाया गया भारतीय परिषद् एकट, 1909 व मिण्टो-मॉर्ले सुधार था।
- मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मिण्टो-मॉर्ले सुधार अधिनियम, 1909ई. के द्वारा की गयी थी।

लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय (1910-1916ई.)

- इसके कार्यकाल में ब्रिटेन के राजा जार्ज पंचम भारत आये। 12 दिसम्बर, 1911ई. में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। यहाँ पर बंगाल-विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गयी तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानान्तरित करने की घोषणा की और 1912ई. में भारत की राजधानी दिल्ली बनी।
- रास बिहारी बोस द्वारा 23 दिसम्बर, 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, जिसमें वह घायल हुआ। इस केस में बाल मुकुन्द को फॉसी दी गई।
- लॉर्ड हार्डिंग के समय में प्रथम बार 1911ई. में भारत में इलाहाबाद से नैनी तक हवाई डाक सेवा प्रारम्भ की गयी थी।
- हार्डिंग के समय में ही रवीन्द्र नाथ टैगोर को 1913ई. में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार 'गीतांजलि' पुस्तक के लिए दिया गया था।
- हार्डिंग के समय में प्रथम विश्व युद्ध (1914-18ई.) हुआ था।
- 1916ई. में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया था।

लॉर्ड चेम्सफोर्ड (1916-21ई.)

- 1916ई. में पूना (महाराष्ट्र) में डी. के. कर्वे द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।
- इसके कार्यकाल में 1917ई. में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया। इसका गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के निराकरण हेतु किया गया।
- 1915ई. में प. मदन मोहन मालवीय व अन्य द्वारा हिन्दू महासभा का गठन किया गया।
- इसके कार्यकाल में 1919ई. में "मॉण्टेयू-चेम्सफोर्ड सुधार" पारित हुआ तथा रैलेट एक्ट भी 1919ई. में पारित किया गया।
- इसके विरुद्ध गांधीजी द्वारा सत्याग्रह लाया गया।
- प्रसिद्ध जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड जनरल डायर द्वारा चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही 13 अप्रैल, 1919 को हुआ था।
- कॉंग्रेस के लखनऊ अधिवेशन (1916ई.) में कॉंग्रेस का एकीकरण हुआ तथा मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था।
- 1919ई. में भारत में पुनः दूसरी बार प्रान्तों में छैध शासन लागू हुआ।
- खिलाफत आन्दोलन (1920-21ई.) एवं गांधीजी द्वारा असहयोग आन्दोलन (1920-21ई.) इसी के समय में प्रारम्भ हुआ था।
- गांधीजी का प्रथम सत्याग्रह चम्पारन (1917ई.) की शुरुआत हुई।
- बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती ऐनी बेसेण्ट के प्रयास से होमरूल लीग (1916ई.) की स्थापना स्वशासन प्राप्ति हेतु की गयी।
- चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में 1920ई. में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी।
- तृतीय अफगान युद्ध (1920-21ई.) भी इसी के कार्यकाल में सम्पन्न हुआ।
- चेम्सफोर्ड के समय में ही पहली बार भारतीयों को ब्रिटिश सेना के कर्मीशाण्ड पदों के लिए सक्षम माना गया। इसी के तहत सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे भारतीय बने जो किसी प्रान्त (बिहार) के गवर्नर बनाये गये।

लॉर्ड रीडिंग (1921-26ई.)

- रीडिंग एकमात्र वायसराय बने जो यहूदी थे।

- 1921ई. में रूस के ताशकन्द नामक स्थान पर एम. एन. राय द्वारा 'भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी' का गठन किया गया।
- इसके कार्यकाल में ही प्रिन्स ऑफ वेल्स ने नवम्बर, 1921ई. में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया।
- 1921ई. में केरल में मोपला विद्रोह भड़का तथा देश के विभिन्न हिस्सों में साम्राज्यिक दंगे हुए।
- 5 फरवरी, 1922ई. की घटना चौसी-चौसा काण्ड (उ. प्र. के गोरखपुर जिले में) के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आन्दोलन बापस ले लिया।
- 1923ई. में वित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कॉंग्रेस के अन्तर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी।
- 9 अगस्त, 1925 को भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध घटना "काकोरी ट्रेन डकैती" हुई, जिसमें राम प्रसाद विस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशाफ़ाक उल्ला को फाँसी दी गयी। इस केस की निःशुल्क पैरेरी "मानु चन्द्र गुप्ता" ने की थी।
- काकोरी काण्ड के एकमात्र अभियुक्त 'शाचीन्द्र बख्शी' को मृत्युदण्ड न देकर आजीवन कारावास दे दिया गया था।
- दिसम्बर, 1926ई. में शुद्धि आन्दोलन तथा आर्य समाज के रुदिवादी नेता स्वामी श्रद्धानन्द साम्राज्यिकता की बलि चढ़ गये।
- 26 दिसम्बर, 1926 में भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय द्वारा कानपुर में की गई थी।
- 1925 में नागपुर में के. वी. हेडगेवार द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) की स्थापना की गई।

लॉर्ड इरिंग (1926-31ई.)

- इरिंग के कार्यकाल में 1927ई. में साइमन कमीशन का गठन और 1928ई. को साइमन कमीशन भारत आया।
- साइमन कमीशन का भारत में भारी विरोध हुआ, इसी विरोध में घायल लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी।
- मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने रिपोर्ट 1928ई. में पेश की और उसे "नेहरू रिपोर्ट" कहा गया।
- लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले तथा लोक सुरक्षा विधेयक के विरोध में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेम्बली हाल में 8 अप्रैल 1929ई. में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका गया।
- 1929ई. में ही प्रसिद्ध लाहौर घड़यन्त्र एवं लाहौर में जतिन दास की 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में ही मृत्यु हुई थी।
- 1929ई. में कॉंग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में "पूर्ण स्वराज" का लक्ष्य घोषित किया और 26 जनवरी, 1930 को पूरे देश में पहली बार स्वतन्त्रता दिवस मनाया गया।
- 12 मार्च, 1930 को गांधीजी ने दाण्डी यात्रा प्रारम्भ की। इस यात्रा में कुल 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से प्रारम्भ करके 385 किमी. पैदल चलकर नौसारी जिले में स्थित डाण्डी (गुजरात) में 6 अप्रैल, 1930 को पहुँचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ हुआ।
- 12 नवम्बर, 1930ई. को लन्दन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कॉंग्रेस ने भाग नहीं लिया।
- 6 मई, 1930 को गांधीजी को गिरफ्तार कर पूना के "यरवदा जेल" में रखा गया।
- 27 फरवरी, 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चन्द्रशेखर आजाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गये।
- 6 मार्च, 1931 को गांधी-इरिंग समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिससे "सविनय अवज्ञा आन्दोलन" स्थगित किया गया।
- आचार्य नरेन्द्र देव एवं जय प्रकाश नारायण द्वारा 1934 में 'कांग्रेस समाजावादी पार्टी' की स्थापना की गई।
- 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई।

चम्पारन सत्याग्रह (1917 ई.)

- इस चम्पारन (बिहार) के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक करार कर रखा था, जिसके अन्तर्गत किसानों को अपने कृषिजन्य क्षेत्र के **3/20वें भाग पर नील की खेती** करनी होती थी। इस पद्धति को **तिनकठिया पद्धति** के नाम से भी जाना जाता था।
- 1917 ई. में चम्पारन के **राजकुमार शुक्ल** ने चम्पारन किसान आन्दोलन का नेतृत्व गांधीजी को सौंपने के लिए लखनऊ में उनसे मुलाकात की। ज्ञात हो कि गांधीजी 21 वर्षों तक अफ्रीका में रहने के बाद 1915 ई. में भारत लौटे थे।
- सत्याग्रह (भारत में)** का प्रयोग गांधीजी द्वारा किया गया प्रथम प्रयास था।
- आयोग की सलाह पर सरकार ने **'तिनकठिया पद्धति'** को समाप्त घोषित करते हुए किसानों को अवैध रूप से वसूले गये धन का **25% भाग** वापस कर दिया।
- गांधीजी के सफल चम्पारन सत्याग्रह से प्रभावित होकर **रवीन्द्र नाथ टैगोर ने** उन्हें **महात्मा** की उपाधि दी, जबकि **एन. जी. रंगा** ने महात्मा गांधी के चम्पारन सत्याग्रह का विरोध किया था।
- चम्पारन में गांधीजी के साथ **राजेन्द्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, जे. वी. कृपलानी** भी थे।
- ज्युडिथ ब्राउन ने अपनी पुस्तक **'गांधीजी राइज टू पॉवर'** में **राजेन्द्र प्रसाद, एस. एन. सिन्हा** तथा **कृपलानी** को **'सब-कन्ट्रैक्टर्स'** कहा।

खेड़ा सत्याग्रह (1918 ई.)

- गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ती हुई लगान की वसूली के खिलाफ गांधीजी के नेतृत्व में आन्दोलन हुआ।
- 1917-18 ई. में फसल खराब होने के बाद भी सरकार द्वारा जबरन लगान की वसूली की जा रही थी।
- खेड़ा के किसानों का सहयोग **गांधीजी ने इन्दुलाल याज्जनिक, बल्लभ भाई पटेल** के साथ किया, उन्होंने किसानों को लगान न अदा करने का सुझाव दिया था।
- सरकार ने गांधीजी के सत्याग्रह के आगे विश्व होकर यह आदेश दिया कि लगान की वसूली केवल समर्थ किसानों से ही की जाये।
- गांधीजी के नेतृत्व में आन्दोलन सफल रहा। खेड़ा में ही गांधीजी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की।

अहमदाबाद मजदूर आन्दोलन (1918 ई.)

- अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच फरवरी-मार्च को प्लेंग बोनस को लेकर विवाद आरम्भ हुआ।
- मिल मालिकों ने मजदूरों को 20% बोनस देने का निर्णय लिया और धमकी दी कि जो यह बोनस स्वीकार नहीं करेगा, उसे नौकरी से बाहर कर दिया जायेगा।
- गांधीजी ने मजदूरों को 35% बोनस दिये जाने का समर्थन किया। मार्च, 1918 में मजदूर हड्डिलाल पर चले गये। 15 मार्च को गांधीजी खुद भूख हड्डिलाल पर बैठ गये। **भारत में गांधीजी की यह पहली भूख हड्डिलाल थी।**
- गांधीजी के अनशन पर बैठने के बाद मिल मालिक सारे मामले को ट्रिभुनल को सौंपने के लिए तैयार हो गये। **ट्रिभुनल ने श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला किया।** इस तरह आन्दोलन समाप्त हो गया।

मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919 ई.)

- भारत सचिव मॉण्टेग्यू ने 20 अगस्त, 1917 को ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा, जिसमें भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिये जाने की बात की गयी थी।
- इस एकट द्वारा वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 ई. में **मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट** जारी की तथा **इस एकट में प्रान्तों में द्वैध शासन** की व्यवस्था की गयी।
- इस अधिनियम (1919 ई.) द्वारा ही भारत में पहली बार 'लोक सेवा आयोग' की स्थापना का प्रावधान किया गया।

- इस अधिनियम द्वारा पंजाब में सिखों को कुछ प्रान्तों में यूरोपियों, ऐंग्लो-इण्डियाँ नों को तथा भारतीय इंसाइयों को पृथक् प्रतिनिधित्व दिया गया तथा इसी अधिनियम के तहत **प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू** की गयी।
- उदारवादियों ने मॉण्टेग्यू घोषणा को 'भारत का मैनाकार्ट' की संज्ञा दी।

- तिलक ने मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों की अपर्याप्तता विषयक टिप्पणी पर कहा—“प्रभात हुआ है पर सूर्य कहाँ है।”

रैलेट एक्ट (1919 ई.)

- भारत में प्रथम क्रान्तिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रैलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की।
- प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् अंग्रेजों ने भारतीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया, बल्कि काला कानून 'रैलेट एक्ट' पारित किया, जिसे 8 मार्च, 1919 को लागू कर दिया गया।
- रैलेट एक्ट के तहत किसी को भी सन्देह मात्र होने की स्थिति में बन्दी बनाया जा सकता था तथा उस पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर दण्डित किया जा सकता था।
- 9 अप्रैल, 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं **डॉ. सत्यपाल** और **संफुहीन किंचलू** को गिरफ्तार करके पंजाब से बाहर भेज दिया गया।
- इस कानून को **बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील** का कानून कहा गया। इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से जाना जाता है।
- रैलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए गांधीजी का **अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास** था।
- गांधीजी ने रैलेट एक्ट को अनुचित, स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों का विरोधी तथा व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करने वाला बताते हुए, इसके विरुद्ध आन्दोलन के लिए 'सत्याग्रह सभा' का गठन किया।

जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड (1919 ई.)

- 13 अप्रैल, 1919 को अमृतसर के **जलियाँवाला बाग** में नेताओं (किंचलू, डॉ. सत्य पाल) के गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शान्तिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था।
- इस बाग से बाहर जाने का एक ही रास्ता था, जहाँ पहुँचकर **जनरल डायर** ने बिना चेतावनी दिये गोलियाँ चलाकर सैकड़ों लोगों को मार डाला। इस हत्याकाण्ड में **हंसराज** नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था।
- इस हत्याकाण्ड के बाद रवीन्द्रनाथ टैगोर ने **नाइटहुड (सर)** की उपाधि लौटा दी, **शंकर नायर** ने वायसराय की कार्यकारिणी पद से त्यागपत्र तथा जमनालाल बजाज ने 'राय बहादुर' की उपाधि वापस लौटा दी।
- कॉर्प्रेस ने इस नरसंहार की जांच के लिए **पं. मदन मोहन मालवीय** की अध्यक्षता में समिति बनायी, समिति के सदस्य **मोतीलाल नेहरू, सी. आर. दास, तैयबजी, जयकर** और **गांधीजी** भी थे।
- बिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिये गये और उसे 'ब्रिटिश साम्राज्य का शेर' कहा गया तथा सम्मानार्थ **2600 पौण्ड** की धनराशि दी गयी।
- दीनबन्धु **सी. एफ. एण्डूज** ने इस हत्याकाण्ड को 'जानबूझ कर की गयी क्रूर हत्या' की संज्ञा दी।
- जलियाँवाला बाग की जल्ली नामक व्यक्ति की सम्पत्ति थी।
- 13 मार्च, 1940 को **सरदार ऊधम सिंह** ने कैक्सटन हॉल (लन्दन) में एक मीटिंग को सम्बोधित कर रहे जनरल डायर की गोली मार कर हत्या कर दी और इस हत्याकाण्ड का बदला लिया।

- 'कौमी आवाज' नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 ई. में पं. जवाहर लाल नेहरू तथा रफी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 1997 ई. में इस अखबार का प्रकाशन बन्द हो गया।
- 1997 ई. में प्रान्तों में मन्त्रिमण्डल के निर्माण के उपरान्त काँग्रेस का शासन 28 महीने तक चला था।
- डेकन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना वी. जी. तिलक ने की थी।
- सर तेजबहादुर सपू और जयकर ने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग की थी।
- गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास (Trusteeship) पर आधारित है।
- महात्मा गांधी ने अभियंत व्यक्त किया कि 'अनूद दिस लास्ट' का लेखन 'रक्त एवं आँसुओं' से हुआ।
- प्रथम अखिल भारतीय समाजावादी सुवा काँग्रेस के सभापति पं. जवाहर लाल नेहरू थे।

महान् व्यक्ति और उनके सम्बद्ध स्थल

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. गौतम बुद्ध | — कपिलवस्तु, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर |
| 2. ईसा मसीह | — जरूसलेम |
| 3. जगजीवन राम | — समता स्थल |
| 4. चौ. चरण सिंह | — किसान घाट |
| 5. लाल बहादुर शास्त्री | — विजय घाट |
| 6. गुरु नानक | — तलवण्डी |
| 7. गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर | — शान्ति निकेतन |
| 8. पं. जवाहरलाल नेहरू | — शान्ति वन/तीन मूर्ति |
| 9. इन्दिरा गांधी | — शवित स्थल |
| 10. राजीव गांधी | — वीर मूर्मि |
| 11. सिकन्दर महान् | — मैसीजानिया/सिकन्दरिया |
| 12. मोहम्मद साहब | — मक्का/मकीना |
| 13. महात्मा गांधी | — पारबन्दर/साबरमती/राजघाट |
| 14. महाराणा प्रताप | — चित्तौड़गढ़/हठोड़ी घाटी |
| 15. सरदार बल्लभ भाई पटेल | — बारदाली |
| 16. नेपोलियन बोनापार्ट | — वाटरलू/कोर्सिका/सेण्ट हेलेना |
| 17. गूलजारी लाल नन्दा | — नारायण घाट |
| 18. मोरारजी देसाई | — अभय घाट |
| 19. वी. आर. अब्देकर | — चैत्रा मूर्मि |
| 20. ज्ञानी जैल सिंह | — एकता स्थल |
| 21. माँ आनन्दमणी | — ओरेविल |
| 22. मदर टेरेसा | — निर्मल हृदय |
| 23. बाबा आम्टे | — आनन्द वन |
| 24. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद | — सदाकत आश्रम |
| 25. अरविन्द घोष | — ओरेविल |
| 26. अकबर महान् | — फतेहपुर सीकरी |
| 27. आचार्य विनोदा भावे | — पवनार आश्रम |

- सिस्टर निवेदिता ने ब्रिटिश शासकों को दुष्ट, घूसखोर एवं क्रूर कहा था।

- कस्तूरबा गांधी व महादेव देसाई की समाधियाँ आगा खाँ पैलेस, पुना में हैं।
- 1940 ई. में रेडिकल 'डेमोक्रेटिक पार्टी' का गठन एम. एन. राय ने किया था।
- सरेजिनी नायदू को भारत कोकिला कहा जाता है।
- महात्मा गांधी ने रवीन्द्र नाथ टैगोर को महान् प्रहरी कहा था।
- ब्रिटिश सत्ता व देशी राज्यों के मध्य सम्बन्धों पर विचार करने के लिए बटलर कमेटी नियुक्त की गयी थी।
- बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, "My strongest bulwark is gone."
- मैक्स मुलर ने कहा था, "संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है।"
- महात्मा गांधी की कृति 'हिन्द स्वराज' की लेखन विधि 'सम्पादक और पाठक' के बीच वार्तालाप है।
- महात्मा गांधी के अनुसार आधुनिक सम्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि 'व्यापक विनाश के हथियारों का आविष्कार' है।
- गांधीजी की कृति 'हिन्द स्वराज' का अंग्रेजी संस्करण 1924 ई. में 'सरमन आँन द सी' शीर्षक से प्रकाशित हुआ।
- सुभाष चन्द्र बोस के राजनीतिक गुरु सी. आर. दास थे।
- गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चन्द्र बोस को 'देश नायक' कहकर सम्मोऽधित किया।
- श्याम जी कृष्ण वर्मा को 'क्रांतिकारियों का पिता' (Father of Revolution) की उपमा दी गई थी।
- राष्ट्रवादी अहरार आन्दोलन 'मजहर-उल-हक' ने प्रारम्भ किया।
- निरंकारी आन्दोलन की शुरुआत 'दयाल दास' ने की थी।
- मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ' यह कथन पं. जवाहर लाल नेहरू का है।
- ए. ओ. झूम 1885-1907 तक काँग्रेस के महामंत्री रहे।
- राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान कुछ्यात सेलुलर जेल अण्डमान में स्थित है।
- आर्य महिला समा की स्थापना पं. रमाबाई ने की।
- डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीव ने किया था।
- मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आन्दोलन खड़ा कर दूँगा—यह कथन महात्मा गांधी का है।
- भारत की स्वतन्त्रता के समय इंग्लैण्ड के समाट जार्ज षष्ठम् (VI) थे। यह भारत का अंतिम सप्ताह एवं कॉमन वेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान (Head) था।
- दिल्ली पश्यंत्र केस में मुखबरी दीनानाथ ने की थी।
- ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादाभाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिसवरी से 1892 ई. में चुनाव जीता था।

□□

3

भारतीय राज व्यवस्था

भारतीय संविधान

भारत का संवैधानिक विकास (Constitutional Development of India)

- **प्लासी का युद्ध (1757 ई.) तथा बरसर का युद्ध (1764 ई.) में अंग्रेजों की सफलता के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अनुसार शासन को संचालित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।**
- **भारत में संविधान निर्माण से पूर्व ब्रिटिश संसद द्वारा ऐसे अधिनियम चार्टर पारित किये गये थे, जिन्हे भारतीय संविधान का आधार कहा जा सकता है। ये निम्नलिखित हैं—**
- **ट्रेगुलेटिंग एक्ट, 1773**
- **ब्रिटिश प्रधानमन्त्री लॉर्ड नाथ द्वारा 1772 ई. में गठित गुप्त समिति (Secret Committee) के प्रतिवेदन पर 1773 ई. में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई।**
- **इसका उद्देश्य कम्पनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा कम्पनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना था।**
- **कम्पनी के सम्पूर्ण प्रशासन के सुपरविजन हेतु इंग्लैण्ड में दो संस्थाएँ थीं—(1) निदेशक मण्डल (Court of Directors), (2) स्वत्वधारी मण्डल (Court of Proprietors)। ये दोनों संस्थाएँ गृह सरकार की अंग थीं।**
- **बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया।**
- **मद्रास तथा मुम्बई प्रेसीडेंसी को बंगाल प्रेसीडेंसी के अधीन कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसीडेंसियों का गवर्नर बनाया गया।**
- **कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अपर न्यायाधीश होते थे।**
- **सर एलिजा इम्प को कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश नियुक्त किया गया तथा तीन अन्य चेम्बर्स, लिमैस्टर एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। यह अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध अपील प्राविकौसिल में होती थी, जो लंदन में था।**
- **कम्पनी के संचालक मण्डल के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया।**
- **इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया।**

● पिटस इण्डिया एक्ट, 1784

- **रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियों, कम्पनी के कुशासन, अन्याय, अत्याचार के कारण कम्पनी की गिरती साख को बचाने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया।**
- **इस अधिनियम के तहत इंग्लैण्ड में सरकार का विभाग बनाया गया जिसे नियन्त्रण बोर्ड (Board of Control) कहते थे। इसमें 6 सदस्य थे।**
- **बंगाल की प्रेसीडेंसी का मुम्बई तथा मद्रास की प्रेसीडेंसी पर नियन्त्रण बढ़ा दिया गया।**
- **इस अधिनियम द्वारा वैध शासन की शुरुआत हुई—(i) बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स—व्यापारिक मामलों के लिए, (ii) बोर्ड ऑफ कंट्रोलर—राजनीतिक मामलों के लिए। अर्थात् कम्पनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को एक द्वारे से पृथक् कर दिया गया।**
- **कम्पनी के वाणिज्य सम्बन्धी मामलों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व सम्बन्धी मामलों को एक नियन्त्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया।**

● चार्टर अधिनियम, 1793

- **इस अधिनियम द्वारा नियन्त्रण बोर्ड (Board of Control) के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गयी है।**
- **इस चार्टर एक्ट द्वारा कम्पनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।**
- **स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया।**

● चार्टर अधिनियम, 1813

- **चार्टर अधिनियम, 1813 के द्वारा कम्पनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसके चीनी तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार चलता रहा।**

■ **प्रथम बार अंग्रेजों की भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गयी थी तथा ब्रिटिश मिशनारियों को भारत में वसने की इजाजत मिली थी।**

■ **इस अधिनियम के अन्तर्गत एक लाख रुपये प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा तथा साहित्य के प्रोत्साहन पर खर्च किया जायेगा।**

■ **भारतीय व्यापार में ब्रिटिश लोगों के व्यापार के लिए द्वारा खोल दिये गये।**

● चार्टर अधिनियम, 1833

■ **इस अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी के व्यापारिक अधिकार (चाय तथा चीन के साथ व्यापार सहित) समाप्त किये गये तथा उसे भविष्य में राजनीतिक कार्य ही करने थे।**

■ **इस अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय प्रशासन का केन्द्रीकरण किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।**

■ **भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा कार्य के लिए चार सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया।**

- इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति कभी संसद के किसी एक सदन में अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण कर सकता है।**
- संसद द्वारा पारित विधेयक, नये राज्यों के निर्माण, सीमा क्षेत्र व नामों में परिवर्तन सम्बन्धी विधेयक, धन विधेयक, संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक, राज्यों के बीच कर व व्यापार सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनते हैं।**
- संसद स्थगन के समय अनुच्छेद 123** के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान रहता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के छः सप्ताह तक रहता है।
- संविधान के अनुच्छेद 160** के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबन्ध कर सकता है।
- (5) **क्षमादान की शक्ति**—संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराये गये किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा करने, उसका प्रविलम्बन (Reprieve), परिहार (Remission) और लघुकरण (Commutation) की शक्ति प्राप्त है।
- (6) **मननयन का अधिकार**—जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि लोक सभा में अंगूल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह ऐसी स्थिति में उस समुदाय से **2 व्यक्तियों को लोक सभा** में तथा इसी प्रकार से **12 सदस्य राज्य सभा** में कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से चुनता है।
- (7) **राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ (Veto Powers of the President)**—
संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्टतः वीटो शक्ति प्रदान नहीं की गयी है, किन्तु संवैधानिक परम्परा के रूप में राष्ट्रपति को तीन प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं—
- (i) **आत्यांतिक वीटो (Absolute Veto)**—जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देता है, तब विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसे आत्यांतिक वीटो या पूर्ण वीटो कहा जाता है।
 - राष्ट्रपति की आत्यांतिक वीटो शक्ति मंत्रिमण्डल के इच्छाधीन होती है। सर्वप्रथम इस शक्ति का प्रयोग 1954 में पेस्सू विनियोग विधेयक के मामले में प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा किया गया था।
 - (ii) **निलम्बनकारी वीटो (Suspension Veto)**—अनुच्छेद-111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के सिवाय संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है।
 - लौटाये जाने का अर्थ सिर्फ अनुमति का निलम्बन होता है क्योंकि संसद द्वारा पुनः पारित कर दिये जाने पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है।
 - इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम 1991 में राष्ट्रपति वैंकट रमन ने संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते विधेयक के सम्बन्ध में किया था।
 - (iii) **जेबी वीटो (Pocket Veto)**—संविधान के तहत किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या न देने के लिए किसी समय-सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है।
 - अतः जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है या पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं करता है तब वह 'जेबी वीटो शक्ति' का प्रयोग करता है।
 - 1986 ई. में जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर किया, जिस पर राष्ट्रपति ने कोई निर्णय नहीं लिया।
- (8) **राष्ट्रपति की आपात शक्तियाँ**—राष्ट्रपति को आपातकाल से सम्बन्धित तीन प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं—
- राष्ट्रीय आपात—अनुच्छेद 352 :** युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया है कि आपातकाल की घोषणा मन्त्रिमण्डल के लिखित पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है साथ ही यह व्यवस्था भी की गयी है कि आपात की उद्घोषणा के एक

महीने के भीतर ही संसद के दोनों सदनों (लोक सभा तथा राज्य सभा) द्वारा दो तिहाई बहुमत से अनुमोदन आवश्यक है। यदि लोक सभा भंग रहती है तो राज्य सभा द्वारा एक महीने के भीतर उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। संसद के दोनों सदनों द्वारा दो-तिहाई बहुमत से 6 माह के लिए उक्त आपातकाल को एक बार बढ़ाया जा सकता है। संसद के एक सदन द्वारा पारित होने तथा दूसरे सदन द्वारा अनुमोदित न होने की स्थिति में यह उद्घोषणा एक माह के बाद स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- राष्ट्रीय आपात के दौरान लोक सभा अपनी कार्यावधि एक-एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन उद्घोषणा समाप्त होने पर 6 माह के भीतर लोक सभा के चुनाव कराना आवश्यक है। 44वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर भाग 3 के अन्य मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान स्थगित रहेंगे।
- राष्ट्रीय आपात पूरे देश में या देश के किसी भाग में लागू किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान राज्य विधान मण्डल स्थगित या भंग नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 352 (ख) के उपबन्धों के तहत लोक सभा के न्यूनतम 1/10 सदस्य सत्र न रहने पर लोक सभा अध्यक्ष को अथवा राष्ट्रपति को आपातकाल समाप्त करने के लिए प्रस्ताव लाने की सूचना दे सकते हैं। इस प्रकार की सूचना मिलने पर 14 दिन के भीतर सदन का विशेष अधिवेशन बुलाना आवश्यक होता है।
- **पं हवदयनाथ कुंजरा** ने कहा, "राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है।"

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)

- राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अपने विवेक से किसी भी राज्य के संवैधानिक तन्त्र की विफलता की घोषणा कर सकता है।
- राष्ट्रपति की इस घोषणा का संसद द्वारा **2 माह के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदन** होना आवश्यक है।
- राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद् से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। उद्घोषणा का नवीकरण संसद द्वारा एक बार में 6 माह के लिए साधारण बहुमत से किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होती है। निर्वाचन आयाग द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि राज्य में चुनाव के लिए अभी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं या राष्ट्रपति आपात रिति रहने पर, राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 वर्ष से भी आगे बढ़ाई जा सकती है।
- संवैधानिक तन्त्र की विफलता के लिए घोषणा प्रत्येक राज्य में अलग-अलग करना आवश्यक है।
- राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों के अधिकारों को हस्तगत करने अथवा उनसे सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों को स्थगित अथवा परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है।
- अनुच्छेद 356 का प्रयोग पहली बार 1951 में (पेस्सू राज्य) पंजाब में भार्गव मन्त्रिमण्डल के पतन के कारण ऐसी उद्घोषणा की गयी।

राष्ट्रपति के अंगरक्षक

- इस अंगरक्षक दस्ते का गठन 1773 ई. में सर्वप्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनारस में किया था।
- प्रारम्भ में इस दस्ते में 50 जवान और 50 घोड़े शामिल किये जाते थे।
- प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व यह संख्या 1845 थी, जो कालान्तर में बढ़कर 1929 हो गयी।
- वर्तमान में राष्ट्रपति के अंगरक्षक दस्ते में 4 अधिकारी, 14 जूनियर कमीशापड अधिकारी और 161 जवानों की टुकड़ी शामिल है।
- वर्तमान में राष्ट्रपति के अंगरक्षक दस्ते में सिख, जाट और राजपूत सहित लगभग सभी रेजीमेंट के जवान और अधिकारी शामिल हैं।

वित्तीय आपात (अनुच्छेद 360)

- भारत अथवा उसके क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय संकट पड़ने पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। भारत में संविधान लागू होने से लेकर आज तक वित्तीय आपात की घोषणा की आवश्यकता नहीं पड़ी है।

| क्र. सं. | मुख्य न्यायाधीश | कार्यकाल |
|----------|--------------------|-------------------------|
| 35. | रमेश चन्द्र लाहोटी | 1-6-2004 से 31-10-2005 |
| 36. | वाई. के. सब्बरवाल | 1-11-2005 से 13-1-2007 |
| 37. | के. जी. वालकृष्णन् | 14-1-2007 से 11-5-2010 |
| 38. | एस. एच. कपाड़िया | 12-5-2010 से 28-9-2010 |
| 39. | अल्तमस कवीर | 29-9-2012 से 18-7-2013 |
| 40. | पी. सदाशिवम् | 19-7-2013 से 26-4-2014 |
| 41. | राजेन्द्र मल लोढ़ा | 27-4-2014 से 27-9-2014 |
| 42. | एच. एल. दत्त | 28-9-2014 से 2-12-2015 |
| 43. | टी. एस. ठाकुर | 3-12-2015 से 3-1-2017 |
| 44. | जगदीश सिंह खेहर | 4-1-2017 से 27-8-2017 |
| 45. | दीपक मिश्रा | 28-8-2017 से 2-10-2018 |
| 46. | रंजन गोगोई | 3-10-2018 से 17-11-2019 |
| 47. | शरत अरविंद बोबडे | 18-11-2019 से अब तक |

नोट : सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में सबसे छोटा कार्यकाल न्यायमूर्ति के एन. सिंह का रहा, जो केवल 17 दिन देश के मुख्य न्यायाधीश रहे। इस पद पर सर्वाधिक 7 वर्ष 140 दिन का कार्यकाल वाई. वी. चन्द्रचूड़ का रहा है।

जनहित याचिका (Public Interest Litigation—PIL)

- सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर वर्ष 1970 में भारत में लोकहित या जनहित की शुरुआत करने का श्रेय न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अथवा का रहा है।
- जनहित याचिका में जीवन की मूल भूत आवश्यकताएँ, शोषण, पर्यावरण, बाल श्रम, स्त्रियों का शोषण आदि विषयों पर न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा सुचित करने पर न्यायालय स्वयं उसकी जाँच कराकर या वस्तुस्थिति को देखकर जनहित में निर्णय देता है।
- इस प्रकार के बाद उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। निचली अदालतों में ऐसे बादों पर विचार करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
- जनहित बाद की संकल्पना का उद्भव अमेरिका में हुआ।

उच्च न्यायालय (High Court)

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों और किसी सघ राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।
- 1995 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों तक और केरल उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार लक्षद्वीप तक विस्तृत कर दिया गया।
- 27वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया और उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय परिषद की जो स्थापना की गयी, उसके अन्तर्गत असोम, नगालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लिए एक ही उच्च न्यायालय ‘गुवाहाटी उच्च न्यायालय’ की व्यवस्था की गयी है।
- पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा के लिए मार्च, 2013 में तथा वर्ष 2019 में तेलंगाना में अलग उच्च न्यायालयों की स्थापना की गयी। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हो गये हैं।
- केन्द्रशासित प्रदेशों में केवल दिल्ली का ही अपना अलग उच्च न्यायालय है।
- गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है।

■ प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश व कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीशों का स्थानान्तरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है।

■ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से होती है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सम्बन्धित राज्य के मुख्य न्यायाधीशों का परामर्श लेना होता है।

■ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को सम्बोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएँ

- (i) भारत का नागरिक हो और 62 वर्ष की आयु पूरी न की हो।
- (ii) कम-से-कम 10 वर्ष तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय सम्बन्धी पद पर कार्य कर चुका हो अथवा एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का अच्छा ज्ञाता हो।

■ संविधान के अनुच्छेद 220 के अनुसार, उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश पदनिवृत्ति के बाद उसी उच्च न्यायालय या उस उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकता है, किन्तु वह अन्य उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है।

■ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संवित निधि (Consolidated Fund of State) पर भारित होते हैं।

■ उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए आदेश दे सकता है।

■ ई-कोर्ट की अवधारणा सर्वप्रथम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लागू की गयी थी।

न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया

भारत में किसी न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल महाभियोग के जरिए ही पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 124 (4) में इसके लिए दी गयी प्रक्रिया के अनुसार महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोक सभा में प्रस्ताव लाने के लिए 100 सांसदों की ओर राज्य सभा में इसे लाने के लिए 50 सांसदों की मंजूरी जरूरी है। संसद के किसी एक ही सत्र में दोनों सदनों में अलग-अलग दो-तिहाई मतों से प्रस्ताव पास होने के बाद ही जज को हटाया जा सकता है। संसद से प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी करता है।

■ संविधान लागू होने के पश्चात देश में पहला महाभियोग प्रस्ताव 1991 में न्यायाधीश वी. रामास्वामी के खिलाफ लाया गया, लेकिन राजनीतिक सहमति नहीं बन पाने के कारण यह प्रस्ताव गिर गया।

■ दूसरा प्रस्ताव फरवरी, 2009 में कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन के विरुद्ध लाया गया, लेकिन राजनीतिक सहमति नहीं बन पाने के कारण यह प्रस्ताव गिर गया।

■ तीसरा प्रस्ताव 29 जुलाई, 2011 को सिविकम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. डी. दिनांकन के विरुद्ध लाया गया, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले ही इन्होंने भी पद से त्यागपत्र दे दिया।

उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार

(1) अपीलीय क्षेत्राधिकार—उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के निर्णयों, आदेशों तथा डिक्रियों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है।

(2) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार—उच्च न्यायालय को राजस्व तथा राजस्व संग्रह के सम्बन्ध में तथा मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार है।

- यदि दो या दो से अधिक राज्य चाहें तो राष्ट्रपति उनके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकता है।
- भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग को संवैधानिक निकाय बनाया गया है तथा इसकी प्रतिस्थिति सलाहकारी निकाय की है।
- संविधान के अनुच्छेद 315(1) में कहा गया है कि “समस्त भारत के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए पृथक्-पृथक् लोक सेवा आयोग होंगे।”

संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission)

- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति है।
- संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है।
- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है। यदि वह इन 6 वर्षों के अन्दर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो वह पदमुक्त हो जाता है या राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है या राष्ट्रपति द्वारा साखित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है।
- वर्तमान समय में संघीय लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 10 अन्य सदस्य हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 319 के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण नहीं करेगा।
- संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा लोक सेवा का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा।
- श्रीमती रोज एम. वैथ्य संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं जो 1992 से 1996 के दौरान इस पद पर रहीं।

राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission)

- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, परन्तु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है।
- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है, उसी के तहत वे अवकाश ग्रहण करते हैं परन्तु इन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्वाचित होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति हटा सकता है।
- राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य हो सकता है, लेकिन सरकार के अधीन अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा।

भारतीय सिविल सर्विसेज के महत्वपूर्ण तथ्य

- भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगिता परीक्षा मैकाले समिति के आधार पर 16 जुलाई, 1855 को लन्दन में आयोजित की गयी। जिसका परिणाम 5 सितंबर, 1856 को लन्दन में घोषित किया गया।
- 1860 में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा को 22 वर्ष किया गया। 1856 में 21 वर्ष तथा 1866 में 17 वर्ष कर दिया गया।
- 1892 में निम्नतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम 23 वर्ष निर्धारित की गयी।
- लम्बे संघर्ष के बाद 1906 में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश की आयु निम्नतम 22 वर्ष तथा अधिकतम 24 वर्ष निश्चित की गयी।
- भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत थोड़ी ही भारतीय सफल हो पाये थे। 1862 से 1875 तक केवल 50 भारतीयों ने यह परीक्षा दी और उनमें से 10 ही सफल हो सके।

- भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय सत्येन्द्र नाथ टैगोर थे। वे रवीन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे।
- भारत में सिविल सर्विस में प्रवेश की आयु घटाने के विरोध में प्रबल आन्दोलन सर सुरेन्द्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था।
- 1855 से 1921 तक सिविल सेवा परीक्षा लन्दन में ही आयोजित होती रही। पहली बार 1922 में यह परीक्षा लन्दन और इलाहाबाद में एक साथ आयोजित हुई।
- सिविल सेवा पदोन्नति के लिए ‘वरिष्ठता सिद्धान्त’ की शुरुआत ‘लॉर्ड कॉर्नवालिस’ ने की थी।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 के बाद भारत में केवल तीन अखिल भारतीय सेवाएँ रह गयीं—इण्डियन सिविल सर्विस, इण्डियन पुलिस सर्विस तथा इण्डियन मेडिकल सर्विस। शेष अखिल भारतीय सेवाएँ प्रान्तों को हस्तान्तरित कर दी गयीं।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए पहली प्रतियोगी परीक्षा जुलाई, 1947 में आयोजित की गयी।
- 26 जनवरी, 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो संघीय लोक सेवा आयोग (FPSC) का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) कर दिया गया।

प्रशासनिक सुधार के लिए गठित प्रमुख समितियाँ/आयोग

| क्र. सं. | नाम | स्थापना वर्ष | विशेषता |
|----------|------------------------|--------------|--|
| 1. | एन. गोपालास्वामी आयंगर | 1949 | मुख्यालय संगठनों के लिए पुनर्गठन योजना। |
| 2. | ए. डी. गोरवाला | 1950-51 | विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए लोक प्रशासन की समीक्षा। |
| 3. | पॉल. एच. एप्पलबी | 1952 | भारतीय प्रशासन का सर्वेक्षण |
| 4. | आचार्य जे. बी. कृपलानी | 1955-57 | रेलवे में अप्टिक्यालायर का सर्वेक्षण |
| 5. | ए. रामास्वामी मुदालियर | 1956 | पब्लिक सर्विस समिति (भर्ती तथा योग्यता) |
| 6. | मोरारजी देसाई | 1966-67 | प्रशासनिक सुधार |
| 7. | के. हनुमन्तर्या | 1967-70 | प्रशासनिक सुधार |
| 8. | के. सन्थानम | 1964 | भारतीय तथा राज्य प्रशासनिक सेवाएँ और जिला प्रशासन की समस्याएँ |
| 9. | डी. एस. कोठारी | 1979 | भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा तथा भर्ती सम्बन्धी नीतियाँ तथा विधि |
| 10. | धर्मवीर | 1979 | राष्ट्रीय पुलिस आयोग |
| 11. | सतीश चन्द्र | 1989 | सिविल सर्विसेज पद्धति की समीक्षा |
| 12. | एन. एन. बोरा | 1997 | राजनीतिज्ञों के अपराधियों से सम्बन्ध |
| 13. | पी. सी. जैन | 1998 | प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा |
| 14. | वाई. के. अलघ | 2000 | सिविल सेवा परीक्षा पद्धति के मूल्यांकन एवं इसमें सुधार के सुझाव हेतु |
| 15. | पी. सी. होता | 2000-04 | सिविल सेवा में सुधार हेतु |
| 16. | वीरपा मोइली | 2005-09 | द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग |

- (i) इसके अन्तर्गत संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ एवं ‘एकता’ और ‘अखण्डता’ आदि शब्द जोड़े गये।
- (ii) इसके अन्तर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51(क) के अन्तर्गत जोड़ा गया।
- (iii) इसके अन्तर्गत नीति निदेशक तत्त्वों को प्रभावी करने के लिए मूलाधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।
- (iv) लोक सभा तथा विधान सभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि अर्थात् पाँच वर्ष से 6 वर्ष कर दी गयी है।
- (v) इसके अन्तर्गत वन सम्पदा, नाप-तौल, पक्षियों की स्खा, जनसंख्या नियन्त्रण, शिक्षा आदि विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया।
- (vi) इसके अन्तर्गत राष्ट्रपति मन्त्रि-परिषद् तथा प्रधानमन्त्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
- (vii) संसद द्वारा किये गये संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से अलग रखा गया है।
- (viii) इसमें अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल सम्पूर्ण देश में या देश के कुछ भागों में लागू किया जा सकता है।
- (ix) राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- (x) बच्चों तथा युवकों के नैतिक शोषण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।
- 43वां संशोधन (1977 ई.)**—इसके द्वारा 42वें संवैधानिक संशोधन की कुछ आपत्तिजनक व्यवस्थाओं, विशेषतया न्यायपालिका से सम्बन्धित व्यवस्थाओं को रद्द कर दिया गया। संसद द्वारा किसी भी ट्रेड युनियन या संस्था को राष्ट्र विरोधी घोषित करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया।
- 44वां संशोधन (1978 ई.)**—इसके अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 352 का संशोधन कर यह उपबन्ध किया गया कि आपात स्थिति की घोषणा के लिए आन्तरिक अशान्ति के स्थान पर ‘शशस्त्र विद्रोह’ का आधार रखा गया। व्यक्ति के जीवन और स्वतन्त्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं की अवधि पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गयी। सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर इसे **अनुच्छेद 300 (क)** के अन्तर्गत विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है।
- 45वां संशोधन (1980 ई.)**—इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति एवं ऐंग्लो-इण्डियन समुदाय के लिए व्यवस्थापिकाओं में सीटों का आरक्षण पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।
- 46वां संशोधन (1982 ई.)**—इसके द्वारा कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में विक्रीकर की समान दरें और वसूली की एक समान व्यवस्था को अपनाया गया।
- 47वां संशोधन (1982 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा 14 भूमि सुधार कानूनों को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।
- 48वां संशोधन (1982 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 356 (5) में यह व्यवस्था की गयी कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को दो वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।
- 49वां संशोधन (1984 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 244 तथा पाँचवीं और छठीं अनुसूची में संशोधन करके त्रिपुरा में स्वायत्तशासी जिला परिषद् की स्थापना का प्रावधान किया गया।
- 50वां संशोधन (1984 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 33 को पुनः स्थापित करके सुरक्षा बलों के मूलाधिकारों को प्रतिबन्धित किया गया।
- 51वां संशोधन (1984 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 330 को संशोधित करते हुए मेघालय, नगालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों को लोक सभा में आरक्षण प्रदान कर दिया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 332 को संशोधित करते हुए नगालैण्ड और मेघालय की विधान सभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

- 52वां संशोधन (1985 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा दसवीं अनुसूची जोड़ी गयी, जिसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल प्रणाली पर कानूनी रोक लगाने का लक्ष्य रखा गया। 15 फरवरी, 1985 को दल-बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ।
- 53वां संशोधन (1986 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा संघीय क्षेत्र मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम की सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाये रखने की दृष्टि से उसे विशेष स्थिति भी प्रदान की गयी।
- 54वां संशोधन (1986 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें (वेतन, भत्ते, पेशन) में उल्लेखनीय सुधार किया गया है।
- 55वां संशोधन (1986 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा केन्द्रशासित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है।
- 56वां संशोधन (1987 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को भारतीय संघ के तहत राज्य का दर्जा (25वां) तथा दमन और दीव को केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में मान्यता प्रदान की गयी।
- 57वां संशोधन (1987 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नगालैण्ड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधान सभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया।
- 58वां संशोधन (1987 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का हिन्दी में संस्करण प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत किया गया।
- 59वां संशोधन (1988 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 356 को संशोधित करते हुए यह व्यवस्था की गयी है कि पंजाब में कुल तीन वर्ष की अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
- 60वां संशोधन (1988 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों की विधान सभाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य की स्थानीय संस्थाओं को सहायता देने के लिए व्यापारिक कर में ₹ 250 के स्थान पर ₹ 2500 की वार्षिक वृद्धि कर सकती है।
- 61वां संशोधन (1988 ई.)**—इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदाता की आयु को 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष कर दिया गया। इस पर आधे से अधिक राज्यों की विधान सभाओं की स्वीकृति मिलने पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किये।
- 62वां संशोधन (1989 ई.)**—इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों तथा ऐंग्लो-इण्डियन समुदाय के लिए आगामी 10 वर्षों अर्थात् 2000 ई. तक के लिए संसद व राज्य विधान सभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गयी।
- 63वां संशोधन (1989 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों व संशोधन को पूर्णतः निरस्त कर दिया गया, जिसके द्वारा पंजाब में आपात स्थिति लागू करने और मूल अधिकारों को निलम्बित करने का उपबन्ध किया गया था।
- 64वां संशोधन (1990 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब में 11 मई, 1987 से लागू राष्ट्रपति शासन में 6 माह की वृद्धि की गयी।
- 65वां संशोधन (1990 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 में एक विशेष अधिकारी का प्रावधान है, जो संविधान के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों से सम्बन्धित मामलों की जांच करेगा और इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजेगा।
- 66वां संशोधन (1990 ई.)**—इस संविधान संशोधन द्वारा 1984 के बाद विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पारित 55 भूमि सुधार कानूनों को इस संविधानिक संशोधन द्वारा संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल किया गया।
- 67वां संशोधन (1990 ई.)**—इस संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब में 11 मई, 1987 से लागू राष्ट्रपति शासन को चार वर्ष के लिए किया गया।

- भारत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अधीन एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 14 अगस्त, 1993 में किया। इसके सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष रखा गया।
- राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना **31 जनवरी, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990** के अधीन की गयी। महिला आयोग में एक अध्यक्ष एवं पॉर्च सदस्य और एक सदस्य सचिव होता है, जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है।
- राष्ट्रपति का अभिभाषण **केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल** तैयार करता है।
- उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है।
- संविधान की प्रस्तावना को **'संविधान की आत्मा'** कहा जाता है।
- उच्चतम न्यायालय को **'संविधान का रक्षक'** कहा गया है।
- भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों का संरक्षण **'भारत का संविधान'** प्रदान करता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए (एफ) के तहत सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखने तथा हिस्सा से दूर रहने का प्रावधान है।
- उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने-बढ़ाने का अधिकार **संसद** को है।
- सार्वजनिक धन का संरक्षक **भारत का नियन्त्रक महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India)** होता है।
- भारत में चलित न्यायालय (Mobile Court) का मानस पुत्र **डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम** को कहा गया है।
- प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई के शासनकाल में सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 (क) के अन्तर्गत **विधिक अधिकार** के रूप में सम्मिलित किया गया।
- भारत में लोक सभा का प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था।
- संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति (Draft Committee) के अध्यक्ष **बी. आर. अच्छेड़कर** थे।
- **26वें संविधान संशोधन (1971)** के अन्तर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के 'प्रिवीपर्स' को समाप्त किया गया है।
- संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। लिखित संविधान की शुरूआत भी अमेरिका से हुई है।
- खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, (Prevention of Food Adulteration Act) सर्वप्रथम 1954 में लागू हुआ था।
- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15 के अनुसार सभी अपराध संज्ञय तथा संक्षेपतः विचारणीय प्रकृति के होंगे।
- गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ 'सामान्य (Common) सिविल कोड' लागू है। वस्तुतः यहाँ सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से ही पुरुषीज सिविल कोड चला आ रहा है जिसे परिवर्तित नहीं किया गया है।
- भारतीय संविधान में **बजट** शब्द का उल्लेख नहीं है।
- 1937 के चुनावों में कंग्रेस का मन्त्रिमण्डल 8 प्रांतों में बना।
- डॉ. बी. आर. अच्छेड़कर ने **संविधान को पवित्र दस्तावेज** कहा है।
- जी. ऑस्टिन ने **भारतीय संघवाद** को सहकारी संघवाद कहा है।
- के. सी. हीयर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा था।
- के. सी. हीयर के अनुसार "भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक कठोर तथा अधिक सन्तुलन स्थापित करता है।"
- लोकसभा में केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आक्षित हैं।
- जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को अगस्त, 2019 में संसद द्वारा समाप्त कर दिया गया है।
- अगस्त, 2019 में जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को केन्द्रशासित प्रदेश बनाया गया है।
- मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 द्वारा तत्काल तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्रह) को संज्ञय और गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है।
- भारत की आंतरिक सुरक्षा अकादमी **मार्जन आवृ** (राजस्थान) में स्थित है।
- वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय **कार्ल मार्क्स** को दिया जाता है।
- राजनी कोठारी ने जिलाधीश को 'संस्थागत करिश्मा' कहा था।
- लिखित संविधान की अवधारणा (Concept) ने सर्वप्रथम **संयुक्त राज्य अमेरिका** में जन्म लिया।
- मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश **अनुच्छेद 123** द्वारा जारी किया जाता है।
- राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगाँठ के लिए **वोहरा समिति** का गठन किया गया।
- राज मन्त्रालय आयोग ने **भारतीय पुलिस सेवा** आयोग को समाप्त करने की सिफारिश की थी।
- संसद में लोकपाल विधेयक **पहली बार 1968** में रखा गया था।
- भारत में उच्चतम आयोग का उद्घाटन **28 जनवरी 1950** को किया गया था।
- यूनियन पालिक सर्विस कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष **वीणा मजूमदार** है।
- नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष **अरविंद पनगड़िया** हैं।
- 97वें संविधान संशोधन, 2011 में 'सहकारी समितियाँ' शब्द जोड़ा गया है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

- **नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019** (Citizenship Amendment Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है।
- इस कानून के द्वारा सन् 1955 के नागरिक कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि 31 दिसम्बर, 2014 से पहले **पाकिस्तान, बांग्लादेश** और **अफगानिस्तान** से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को धार्मिक प्रताङ्गन के कारण भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी।
- इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।

नागरिकता अधिनियम एक दृष्टि में

- लोकसभा में पारित तिथि — 10 दिसम्बर, 2019
- राज्यसभा में पारित तिथि — 11 दिसम्बर, 2019
- राष्ट्रपति के हस्ताक्षर — 12 दिसम्बर, 2019

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)

- भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (Indian National Register of Citizens) भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है, जिसमें उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक (वैध) नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही निर्मित की गई थी।
- इस कानून की चर्चा उस समय अधिक हुई, जब 20 नवम्बर, 2019 को भारत के गृहमंत्री **अमित शाह** ने इस पूरे भारत में विस्तार करने के लिए कहा।
- इस रजिस्टर के तहत जो लोग **असम में बांग्लादेश बनने के** पहले (25 मार्च, 1971 के पहले) आए हैं, केवल उन्हें ही भारत का नागरिक माना जाएगा।
- असम भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसके पास राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) है।

□□